20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन म.प्र.

R 1062-PBR/17

1 कालीया पिता मियाला भूरिया भील उम्र 72 वर्ष,
2 राणजी पिता हुमजी भूरिया भील उम्र वयस्क
3 गागां पिता हुमजी भूरिया भील उम्र वयस्क
समस्त का धंधा खेती, निवासीयान ग्राम मौलावा,
तहसील रावटी जिला रतलाम म.प्र. —— प्रार्थीगण

अभिभाषक श्री .... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15-3-17 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

विरुद्ध

बालू पिता मोती भूरिया भील उम्र 51 वर्ष लगभग,
धंधा खेती, नि.ग्रा. मौलावा तह.रावटी जि. रतलाम —— प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राज.संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण यह निगरानी वि.अधि.न्यायालय श्रीमान राजस्व निरिक्षक महोदय वृत्त रावटी तहसील रावटी जिला रतलाम द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 11/अ–12/15–16 दिनांक 26.04.16 को अनियमितता पूर्वक किये गये सीमांकन से असंतुष्ट होकर निम्न आधारो के अतिरिक्त अन्य आधारो पर प्रस्तुत करते हैं :–

11/7 15/3/17

–: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा दिनांक 12.04.16 को राजस्व निरिक्षक महोदय वृत्त रावटी तहसील रावटी जिला रतलाम के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मौलावा स्थित सर्वे न. 518/02, 588/02 तथा 604 रकबा क्रमशः 0.60, 0.38 तथा 0.01 का सीमांकन किये जाने हेतु निवेदन किया जिसके आधार पर दिनांक 26.04.16 को राजस्व निरिक्षक महोदय द्वारा अनियमितता पूर्वक सीमांकन किया गया। उक्त सीमांकन में सर्वे न. 518/02 सम्पूर्ण रकबा प्रार्थी क्र.1 तथा सर्वे क्र. 588/02 के सम्पूर्ण रकबे पर प्रार्थी क्र.2 व 3 का अवैध कब्जा पाया जाना दर्शाया। जिससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न आधारो के अतिरिक्त अन्य आधारो पर अंदर अवधि नकल मिलने के दिन मुजरा कर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं:–

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1062-पीबीआर/17 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	